158 D1042

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

14 OCT 2009

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

976926

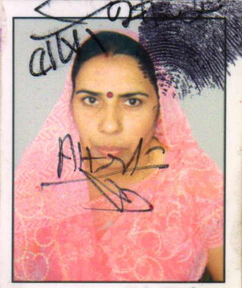

Ved Pal Singh Advocate Civil Court, Meerut

Ved Pal Singh Advocate Civil Court, Meerut

Ved Pal Singh Advocate Civil Court, Meerut

Ved Pal Singh Advocate Civil Court, Meerut

ॐ

विक्रय पत्र

विक्रय मूल्य **12,00,000/– रूपये**

भूमि सोसायटी द्वारा क्रय की जा रही है अतः जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी सर्किल रेट सूची में दिये गये सामान्य निर्देशानुसार अन्य प्रयोजनार्थ निर्धारित दर 30,00,000/– रूपये प्रति हैक्टेयर पर स्टाम्प अदा किया जा रहा है।

सर्किल रेट अनुसार कीमत **15,50,000/– रूपये**

उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या सं0वि0क0नि0–5–2756/11–2008–500(165)/2007 लखनऊ दिनांक 30 जून, 2008 के अनुसार **विकास शुल्क सहित 7 प्रतिशत की दर से देय स्टाम्प अंकन** 1,08,500/– रूपये

स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 (1) का सत्यता पूर्वक पालन किया गया है।

क्रयमूल्य 100000/-

क० सं० 1 दिनांक 15/10/2001 मूल्य 25000/-
का स्टाम्प श्री पंडित मलखानसिंह मैमोरियल सीनियर सामाजिक सेवा सभा सोसायटी द्वारा मलखान सिंह विद्यालय ग्राम बहराला ब्लाक सरधना
को बास्ते ...... खरीदा गया।

स्टाम्प - लिपिक
सरधना

वर्मा भारद्वाज व सुनील कुमार

कैमया 120000/- रु० बहसबा विक्रेता
रु० 150000/-

फीस रजिस्ट्री 5304 फीस नकल 20/- योग 5324 शब्द लगभग 140
श्री अनिलकुमार पुत्र मलखानसिंह
पेशा ...... निवासी बहराला
परगना सरधना जिला मेरठ
कार्यालय सब रजिस्ट्रार सरधना में आज दिनांक 15/10/01
समय 1 व 2 बजे दिन की पेश की।

उप निबन्धक
सरधना

लेखपत्र के विवरण सुन व समझकर वे लेखपत्र का सम्पादन तथा उसमें लिखित कुल मूल्य की प्राप्ति को जिसमें से मु- 120000/-प्राप्त ...... प्राप्त करके अदा की ...... ने स्वीकार किया सुनील कुमार व अनिलकुमार वर्मा व संजीव कुमार वर्मा संजीव कुमार पुत्रगण मलखानसिंह विक्रेतागण एवं पंडित मलखानसिंह मेमोरियल सोसाइटी द्वारा उपाध्यक्ष श्रीमती वर्मा भारद्वाज व० सुनील कुमार

जिनकी पहचान श्री मुनेश कुमार
पुत्र श्री ......
निवासी बहराला
व श्री मुन्नी लाल
पुत्र श्री ......
निवासी बहराला

उप निबन्धक
सरधना

अनिलकुमार

वर्मा भारद्वाज

सुनील कुमार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

14 OCT 2009

बड़ौत (मेरठ)

976927

विक्रेता अनुसूचित जाति से **नहीं है।**
विक्रित भूमि पूर्णतः कृषि प्रयोजन की है।
विक्रित भूमि राजकीय, जनपदीय या लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है।
विक्रित भूमि में कोई पेड़ व बोरिंग आदि नहीं है।
विक्रित सम्पत्ति विक्रेता/प्रथम पक्ष की पैत्रिक सम्पत्ति हैं।
पक्षकार भारत देश के मूल नागरिक हैं।
विक्रित भूमि के 200 मीटर की त्रिज्या में कोई आवासीय गतिविधि नहीं है।
विक्रेता प्रथम पक्ष के परिवार के पास विकय की गयी भूमि सहित समस्त उत्तर प्रदेश में 18 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है।
केता द्वितीय पक्ष के परिवार के पास कय की गयी भूमि सहित समस्त उत्तर प्रदेश में 12,1/2 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है।
विक्रित भूमि पट्टा ग्राम समाज, सीलिंग, भूदान, गर्वनमेन्ट ग्रान्ट एक्ट के अधीन दिये गये पटटे की भूमि नहीं है।

क्र० सं० 2 दिनांक 15/10/09 मूल्य 25000
शामिल सं० 1 में शामिल किया गया

उप-रंकडिश
उरधना

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

14 OCT 2009

976928

हम कि सुनिल कुमार व अजय कुमार व संजीव कुमार उर्फ राजीव कुमार पुत्रगण मलखान सिंह निवासीगण ग्राम बहसला परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ ..विक्रेता/प्रथम पक्ष

एवं ~~एम. एम. पी. [illegible]~~

पंडित मलखान सिंह मौमोरियल शिक्षा समिति, ग्राम [illegible], पोस्ट [illegible] दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ (रजि0 संख्या 518/2004) द्वारा उपाध्यक्ष श्रीमती वर्षा भारद्वाज पत्नी श्री सुनील कुमार निवासी ग्राम बहसाला परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ .. क्रेता/द्वितीय पक्ष

इस लेख द्वारा प्रमाणित करते हैं कि भूमिधरी भूमि खाता संख्या 00302 के खसरा नम्बर 562, (पांच सौ बासठ) रकबा 2.0900 हे0 (दो दशमलव शून्य नो शून्य शून्य हैक्टेयर) में अपने समस्त 1/3 भाग की भूमि 0.6966,2/3 हैक्टेयर में से विक्रित भूमि केवल 0.5166,2/3 हे0 (शून्य दशमलव पांच एक छः छः सही दो बटा तीन हैक्टेयर) स्थित ग्राम पनवाड़ी, परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ प्रथम पक्ष के

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

14 OCT 2009

976929

स्वामित्व की है, और प्रथम पक्ष को बहैसियत होने पूर्ण स्वामी भूमिधरी उक्त को विक्रय करने के पूर्णतः अधिकार प्राप्त हैं कि जो आज की तारीख तक हर प्रकार के ऋण भार, दोष वैधानिक व हस्तान्तरण आदि से मुक्त व रहित है। मूल्य इस समय अति उचित मिल रहा है। विक्रय करने में हर प्रकार से लाभ है। अतः शान्ति पूर्वक विचार करके स्वस्थ मस्तिष्क व निर्मल इन्द्रियों की दशा में समस्त व सम्पूर्ण भूमिधरी विक्रित उक्त के मय समस्त अधिकार स्वामित्व अधिपत्य आदि सहित बिना छोड़े हुए कोई हक व हिस्सा चाहे उसका जिक्र इस दस्तावेज में किया गया हो अथवा न किया गया हो बदले अंकन **12,00,000/– बारह लाख** रूपये कि आधे जिसके अंकन 6,00,000/– छः लाख रूपये होते हैं, विक्रये मूल्य के उपलक्ष्य में हस्ते **पंडित मलखान सिंह मौमोरियल शिक्षा समिति, ग्राम भराला, पोस्ट दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ (रजि0 संख्या 518/2004) द्वारा उपाध्यक्ष श्रीमती वर्षा भारद्वाज पत्नी श्री सुनील कुमार निवासी ग्राम बहराला परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ** को विक्रय कर दी और समस्त विक्रय मूल्य प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से **नकद घर पर** प्राप्त करके विक्रित भूमिधरी उक्त को अपने अधिकार व अधिपत्य स्वामित्व आदि से निकालकर द्वितीय पक्ष

500Rs.

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

K 322847

के स्वामित्व तथा अधिपत्य आदि में देकर और भूमिधरी विक्रित उक्त का मौके पर खाली का कब्जा द्वितीय पक्ष को देकर, द्वितीय पक्ष को अपनी भांति पूर्ण रूप से मालिक व स्वामी बना दिया। अब प्रथम पक्ष व प्रथम पक्ष के वारिसान का कोई सम्बन्ध किसी किस्म का भूमिधरी विक्रित से शेष नहीं रह गया है और ना ही भविष्य में होगा। वास्तविक परिवर्तन क्रियान्वित हुआ और यह विक्रय सही एवं वैधानिक एवं क्रियान्वित करने योग्य है तथा द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह भूमिधरी विक्रित उक्त को अपनी इच्छानुसार प्रयोग में लायें, जिस में प्रथम पक्ष व अन्य किसी को कोई आपत्ति करने का अधिकार न होगा, तथा द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह अपना नाम सरकारी रिकार्ड माल कागजात में बहैसियत मालिक दर्ज करा लें। नाम दर्ज कराने में जहां कहीं भी प्रथम पक्ष के हस्ताक्षरों व रजामन्दी की आवश्यकता होगी तो उस में प्रथम पक्ष को कुछ उज्र व एतराज न होगा तथा आज से पूर्व के जो भी ड्यूज आदि होंगे, उनको अदा करने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी। यदि मुझ प्रथम पक्ष के उत्तराधिकारी या सम्बन्धी या सहभागी के वादवश भूमिधरी विक्रित उक्त या उसका कोई अंश द्वितीय पक्ष के अधिकार स्वामित्व तथा अधिपत्य आदि से निकल जावे या उस पर कोई ऋण या भार पाया जावे

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

12 OCT 2009

G 425422

तो ऐसी प्रत्येक दशा में द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह अपना समस्त विक्रय मूल्य अथवा उसका अंश जैसी दशा हो मय हर्जा खर्चा बैनामा मय ब्याज मय वाद व्यय सहित यदि कोई द्वितीय पक्ष को अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिये खर्च करना पड़े तो न्यायालय द्वारा मुझ प्रथम पक्ष से व प्रथम पक्ष के उत्तराधिकारी से तथा प्रथम पक्ष व प्रथम पक्ष के उत्तराधिकारी की चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार भी उचित जाने वसूल करे, जिसमें प्रथम पक्ष व प्रथम पक्ष के उत्तराधिकारीगण को कोई आपत्ति न होगी। अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि प्रमाणित तथा उपयोगी हो और उचित समय पर काम आवे। नोट पृष्ठ तीन की सतर पांच में समिति व ग्राम शब्द के बीच स्पेस लगाकर व पृष्ठ चार की सतर ग्यारह में शब्द समिति व ग्राम के बीच स्पेस लगाकर शब्द "एस. एस. बी. एजूकेशनल महाविद्यालय" बढ़ाया गया है। जो गलत है

दिनांकः 14.10.2009 (चौदह अक्तूबर सन दो हजार नो ई0)

प्रालेख वेदपाल सिंह, एडवोकेट, सरधना, (मेरठ)।

Ved Pal Singh
Advocate
Civil Court, Meerut

वर्षा भारद्वाज

गवाह सुरेन्द्र पाल
सुरेन्द्रपाल पुत्र दयाराम
नि० ग्राम महरालट

गवाह सुशील कुमार
सुशील कुमार पुत्र महेश

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

G 425423

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

नजरी नक्शा (Not to be scaled)

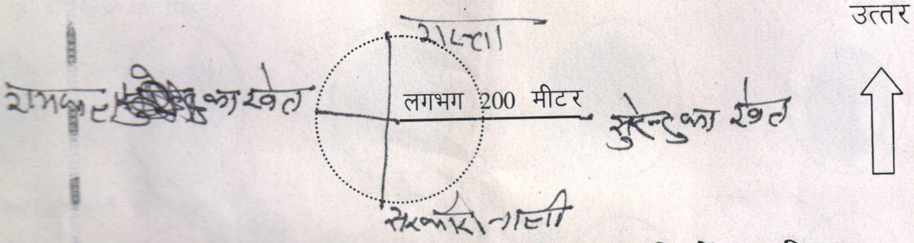

<u>विक्रित भूमि की 200 मीटर की त्रिज्या में स्थित सम्पत्तियों का विवरण</u>

1. राष्ट्रीय राजमार्ग / जनपदीय मार्ग / लिंक मार्ग / चकमार्ग————————————
2. बाग / नर्सरी ————————————————————————
3. आवासीय / वाणिज्यिक भूमि / भवन————————————————
4. शैक्षिक संस्थान / धर्मार्थ संस्थान / स्वास्थ्य केन्द्र ————————————
5. औद्योगिक संस्थान / कोल्ड स्टोरेज——————————————
6. गैस गोदाम / पैट्रोल पम्प / नलकूप——————————————
7. होटल / रेस्टोरेन्ट / मनोरंजन केन्द्र ——————————————
8. सरकारी / अर्द्धसरकारी / निगमित कार्यालय ————————————
9. अन्य

घोषणा– किसी तथ्य को छिपाया नहीं गया है तथा गलत वर्णन अंकित नहीं किया गया है। उपरोक्त सूचना क्षेत्र की सामान्य जानकारी पर आधारित है।

हस्ताक्षर विक्रेता | हस्ताक्षर क्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

12 OCT 2009

G 425424

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रथम/द्वितीय पक्ष का नाम व पता : –

बायें हाथ के अंगुलियों के चिह्नः

दायें हाथ के अंगुलियों के चिह्नः

प्रथम/द्वितीय पक्ष का नाम व पता : –

बायें हाथ के अंगुलियों के चिह्नः

दायें हाथ के अंगुलियों के चिह्नः

शशि भारद्वाज

500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु. Rs 500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

12 OCT 2009

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रथम/द्वितीय पक्ष का नाम व पता : –

बायें हाथ के अंगुलियों के चिह्नः

दायें हाथ के अंगुलियों के चिह्नः

प्रथम/द्वितीय पक्ष का नाम व पता : –

बायें हाथ के अंगुलियों के चिह्नः

दायें हाथ के अंगुलियों के चिह्नः

१८ 16/10/09 ३०८
क्र० .... दि० .... रु० ....
स्टाम्प शाप नं० 15 से जारी किया
राजकुमार, स्टाम्प विक्रेता
[illegible]

15887
28/11/10

आज दिनांक 14/10/09
प्रति पुस्तक संख्या १ खण्ड 2436
के पृष्ठ 301/310 क्रम संख्या 11042
पर रजिस्ट्रीकृत किया गया।